न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी : पीयुष समारिया
आई0ए0एस0

अपील सं0 156/2018

1. रमेश चन्द मीना पुत्र श्री श्योनारायण मीना उम्र लगभग 39 वर्ष निवासी ग्राम पंचायत बालाहेडा, तहसील बसवा जिला दौसा राजस्थान।

..अपीलांट

बनाम

1. जिला रसद अधिकरी दौसा जिला दौसा (राजस्थान)

..रेस्पोडेन्ट

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अपील विरूद्ध निर्णय दिनांक 09.10.2017 द्वारा जिला रसद अधिकारी, दौसा अन्तर्गत मुकदमा नंबर 69/2017 उनवानी प्रकरण राज्य सरकार बनाम मैसर्स रमेश चन्द मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बालाहेडा तहसील बसवा।

न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट दौसा

उपस्थितः 1.श्री दुर्गाप्रसाद सैनी अधिवक्ता अपीलांट
2.श्री प्रहलाद मीना, प्रवर्तन अधिकारी, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांकः 05.11.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि जिला रसद अधिकारी दौसा ने दिनांक 09.10.2017 को अपीलांट का प्राधिकृत पत्र निरस्त कर दिया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोडेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवायी गयी। बहस उभय पक्ष सुनी गयी ।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट पक्ष की बहस में दलील है कि अपीलकर्ता ग्राम पंचायत बालाहेडा तहसील बसवा जिला दौसा के उचित मूल्य दुकान का अधिकृत डीलर है। जिसका प्राधिकार पत्र सं0 141/1995 है। ग्राम पंचायत बालाहेडा के उपभोक्ताओं को रसद सामग्री का वितरण करता रहा है। राजनैतिक रंजिशवश कुछ उपभोक्ताओं द्वारा प्रार्थी के विरूद्ध झूठी शिकायत दर्ज कराने पर प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई द्वारा दिनांक 22.02.2017 को प्रार्थी की दुकान की जांच की गई एवं मौके के उपस्थित उपभोक्ताओं के बयान लिए गये। तत्पश्चात जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा अपने आदेश दिनांक 08.03.2017 द्वारा प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को अग्रिम आदेशों तक निलम्बित कर दिया गया। उक्त आदेश की पालना में प्रार्थी द्वारा शेष स्टॉक मय पोस मशीन जिसमें 457 लीटर केरोसीन एवं 9.5 किलोग्राम चीनी अटैच डीलर विश्राम मीना उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत बैजुपाडा कों दिनांक 17.04.2017 को सुपुर्द कर दी गई। इसके पश्चात प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई द्वारा जांच रिपोर्ट दिनांक 12.05.2017 को जिला रसद अधिकारी दौसा को प्रस्तुत करने पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा दिनांक 18.05.2017 को प्रार्थी को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया जिसका विस्तृत जबाव मय साक्ष्य के प्रार्थी द्वारा दिनांक 07.06.2017को प्रस्तुत कर दिया। प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा पूर्व मे की गई जांचों मे कोई अनियमितता

नहीं पाये जाने के कारण व्यक्तिगत रंजिशवश केवल मात्र एक उपभोक्ता द्वारा जिला रसद अधिकारी दौसा को पत्र लिखकर पुनः जांच की मांग की गई। जिसके आधार पर जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा राजनैतिक दबाव के कारण दिनांक 09.06.2017 को प्रवर्तन निरीक्षक लवाण से पुनः जांच कराने के आदेश दिये। प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान की जांच दिनांक 01.07.2017 के आधार पर दिनांक 12.07.2017 को प्रार्थी को पुनः संशोधित कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। जिसका जबाव प्रार्थी द्वारा दिनांक 12.07.2017 को ही प्रस्तुत कर दिया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जबाव के पश्चात भी प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को बहाल नहीं किये जाने पर प्रार्थी द्वारा निलबंन आदेश दिनांक 08.03.2017 के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में याचिका पेश की गई जो दिनांक 24.08.2017 को स्वीकार करने पर उक्त आदेश की पालना मे दिनांक 13.09.2017 को प्राधिकार पत्र बहाल कर दिया गया। जिसके कुछ दिनों बाद ही राजनैतिक दबाव के कारण प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई से प्रार्थी की दिनांक 23.09.2017 को पुनः जांच करवाई गई एवं दिनांक 26.09.2017 को जिला रसद अधिकारी जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। उक्त जांच रिपोर्ट मे कुछ तकनीकी अनियमितताओं के अलावा किसी प्रकार की कालाबाजारी या दुरूपयोग का आरोप नही पाये जाने के उपरान्त भी प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को आदेश दिनांक 09.10.2017 द्वारा निरस्त कर दिया गया। जिसको प्रार्थी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय मे चुनौती दी गई। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 26.02.2018 द्वारा अपील करने की स्वतंत्रता के साथ याचिका का निस्तारण किया गया। विवादित आदेश दिनांक 09.10.2017 राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ वितरण का विनियम आदेश, 1976 के प्रावधानों के विपरीत एवं विधि विरूद्ध है। डीलर द्वारा नियमित रूप से पोस मशील द्वारा रसद सामग्री का वितरण किया जाता है। पोस मशीन से वितरण पश्चात हाथोंहाथ प्रिंटेड पर्ची निकलती है जो उपभोक्ताओं का देदी जाती है। पोस मशीन द्वारा उपभोक्ता के अंगूठे का आधार कार्ड से बॉयोमेट्रिक मिलान किया जाकर रसद सामग्री देय होती है। जिसमे किसी प्रकार की अनियमितता की गुंजाईश नही हो सकती है लेकिन व्यक्तिगत रंजिस के कारण कुछ उपभोक्ताओं द्वारा खाली राशनकाड प्रस्तुतकर प्रार्थी की झूठी शिकायत प्रस्तुत की गई है। प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई द्वारा प्रार्थी की दिनांक 23.09.2017 को पुनः जांच की गई जिसकी बिन्दु संख्या 03 मे अंकित किया की शिकायतकर्ता द्वारा नियमित रूप से बायोमेट्रिक सत्यापन के बाद ही रसद सामग्री प्राप्त की जाती है एवं बिन्दु संख्या 04 मे यह भी लिखित किया कि शिकायतकर्ता गुरगन खुमार के राशनकार्ड मे उल्लेखित महीनों मे राशन सामग्री का इन्द्राज नही है परन्तु गुरगन खुमार की पोस वितरण की रिपोर्ट के अनुसार उसने राशन सामग्री प्राप्त नहीं की है। उक्त रिपोर्ट दिनांक 23.09.2017 में कही भी रसद सामग्री कालाबाजारी या दुरूपयोग का आरोप प्रमाणित नही माना गया। वर्तमान व्यवस्था के अनुसार रसद सामग्री प्राप्त करने के लिए उपभोक्ता को राशनकार्ड लाना आवश्यक नहीं है केवल मात्र भामाशाह कार्ड अथवा आधारकार्ड लाने मात्र से ही रसद सामग्री प्राप्त हो जाती है। ऐसी स्थिति मे राशनकार्ड मे रसद सामग्री का इंन्द्राज नही होना एक स्वाभाविक कारण है। जिसके लिए डीलर को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विभागीय परिपत्र दिनांक 25.03.94 के अनुसार तकनीकी अनियमितताओं के आधार पर डीलरों के विरूद्ध मुकदमे नही बनाये जाने बाबत दिशानिर्देश पारित किये है। उक्त समस्त तथ्यों को नजरअन्दाज कर एवं विभागीय परिपत्र एवं दिशानिर्देशों की अवहेलना की जाकर प्रार्थी के प्राधिकार पत्र को निरस्त किया गया है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जाकर जिला रसद अधिकारी दौसा के आदेश दिनांक 09.10.2017 को निरस्त फरमावे। पारिवारिक राशनकार्ड से डीलर की शिकायत झूठी होने के संबंध में अधिवक्ता अपीलांट द्वारा हरकेश मीना पुत्र ख्यालीराम मीना, केशी देवी पुत्री बंशीराम मीना, रामनिवास मीना पुत्र श्री बद्री प्रसाद मीना, रमेश चन्द मीना पुत्र श्री गोकुल राम मीना, खिलारीराम मीना के शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

पैरोकार सरकार द्वारा बहस में निवेदन किया गया कि ग्राम पंचायत बालाहेडा तहसील बसवा के उचित मूल्य दुकानदार श्री रमेश चंद मीना के विरूद्ध प्राप्त शिकायत की जांच प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई द्वारा दिनांक 11.04.2017 को की जाकर दिनांक 12.05.2017 को कार्यालय जिला रसद अधिकारी दौसा में प्रस्तुत की गई। जांच रिपोर्ट मे पाई गई अनियमितताओं बाबत दिनांक 18.05.2017 को कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। जांच में निम्न अनियमितताऐं पायी गईः–

1. दुकान का एफपीएस रिकार्ड, प्राधिकारी पत्र, दुकान का प्रमाणित नक्शा व स्टॉक रजिस्टर, यूनिट रजिस्टर, एनएफएसए–ई की सूची मांगे जाने पर प्रस्तुत नही की गई।
2. दुकान पर मूल्य एवं स्टॉक सूची बोर्ड पर आवश्यक सूचनाओं व एनएफएसए–ई सूची का प्रदर्शन होना नही पाया गया।
3. उपभोक्ता श्री गुरगन खुमार से बयान लिये जाने पर बताया कि डीलर द्वारा उसे राशन सामग्री नही दी जाती जबकि पॉश मशीन से राशन सामग्री दिये जाने का इन्द्राज होना बताया गया।
4. उपभोक्ता से जांच किये जाने पर डीलर का व्यवहार संतोषजनक नहीं होना पाया गया और न ही उन्हें नियमित रूप से राशन सामग्री दी जाती है। पॉश मशीन मे अंगूठा लगवाकर कह दिया जाता है कि आपका नाम एनएफएसए– ई सूची मे नही है। शिकायत कर्ता श्री धम्मनलाल, शंकरलाल, लक्ष्मीनारायण मीना, सियाराम मीना, शिवराम मीना का नाम एनएफएसए–ई सूची मे होना पाया गया।
5. उपभोक्ताओं को राशन वितरण की प्रिन्टेड पर्ची नही देना एवं न ही आवंटित मात्रा का पूर्ण रूप से वितरण किया जाना पाया।
6. उपभोक्ताओं के राशनकार्डो मे अवैध रूप से राशन सामग्री का वितरण दर्शाकर 920 किलोग्राम गेहु, 23 किलोग्राम चीनी, 62.5 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग किया गया है।
7. दुकान पर माह सितम्बर 2016 से माह मार्च 2017 तक थोक विक्रेता द्वारा की गई आपूर्ति एवं वितरण का मिलान करने पर शेष स्टॉक 2.47 क्वि0 गेहु , 9.5 किलोग्राम चीनी व 657 लीटर केरोसीन रहा जिसका वक्त निरीक्षण भौतिक सत्यापन नहीं करवाया गया जिसके कारण वास्तविक स्टॉक कितना था जिसका सत्यापन नही हो सका।

प्रवर्तन निरीक्षक बांदीकुई द्वारा प्रस्तुत जांच रिपोर्ट से शिकायतकर्ताओं/उपभोक्ताओं के संतुष्ठ न होने पर डीलर की पुनः जांच प्रवर्तन निरीक्षक नांगल राजावतान से करवाई गई जिसकी पालना मे दिनांक 01.07.2017 को जांच की जाकर जांच रिपोर्ट दिनांक 10.07.2017 को जिला रसद अधिकारी कार्यालय मे प्रस्तुत की गई। जिसमें शिकायतकर्ता उपभोक्ताओं के राशनकार्डो मे अवैध रूप से राशन सामग्री का वितरण दर्शाकर 1140 किलोग्राम गेहूँ ,13 किलोग्राम चीनी व 112.50 लीटर केरोसीन का दुरूपयोग किया जाना बताया गया है।

डीलर द्वारा केरोसीन एवं गेहूँ वितरण के समय पॉश मशीन मे अँगूठा लगवाकर उनका अंगूठा मिलान नही करना बताते हुए व वितरित राशन सामग्री की पॉश मशीन की प्रिंटेड पर्ची न दी जाकर उक्त प्रकिया के दौरान तीनों मे से एक राशन सामग्री वितरण के समय अन्य राशन सामग्री केरोसीन गेहूँ व चीनी का वितरण दर्शाकर कुल 1140 किलोग्राम गेहूँ , 13 किलोग्राम चीनी एवं 112.50 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से न दिया जाकर उक्त राशन सामग्री का दुरूपयोग कर कालाबाजारी की गई है। इस प्रकार डीलर द्वारा गंभीर अनियमिताएं कर "राजस्थान खाद्यान्न एवं अन्य आवश्यक पदार्थ(वितरण एव विनियमन) आदेश 1976" के खण्ड 20 व इसके तहत जारी प्राधिकार पत्र की शर्त संख्या 5,9,11,15,17सी, व 18 तथा खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंधन किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.10.2017 का अवलोकन करने पर उक्त आदेश पत्र में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निरस्त किये गये प्राधिकार पत्र का क्रमांक व दिनांक अंकित नहीं होना पाया गया है। पत्रावली में उपलब्ध तथ्यों के अनुसार डीलर द्वारा उपभोक्ताओं को राशन सामग्री वितरण के समय पॉश मशीन में उपभोक्ताओं के अंगूठे लगवाकर अंगूठा मिलना नहीं करना बताते हुए पॉश मशीन प्रिन्टेड पर्ची उपभोक्ताओं को नहीं दिये जाने एवं उक्त प्रक्रिया के दौरान एक राशन सामग्री वितरण के समय अन्य राशन सामग्री का भी वितरण दर्शाकर 1140 किलोग्राम गेहूँ, 13 किलोग्राम चीनी एवं 112.50 लीटर केरोसीन उपभोक्ताओं को वास्तविक रूप से नही दिये जाने एवं विभागीय निर्देश/नियमानुसार राशन सामग्री का वितरण नहीं किये जाने के सम्बन्ध में सन्तोषप्रद जवाब प्रस्तुत नहीं करने पर डीलर द्वारा की गई गम्भीर अनियमितताओं को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के अनुसार जिला रसद अधिकारी दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 09.10.2017 के विरूद्ध अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति सहित वापिस लौटायी जावें। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

निर्णय आज दिनांक 05 नवम्बर 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(पीयुष समारिया)
जिला कलेक्टर, दौसा
जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official